"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2017—— पौष 9, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

आदेश

क्रमांक 12441/2255/PS Law/21-ब/छ. ग./2017 . — राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, कोरिया (बैकुण्ठपुर) (छ. ग.) के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री रामरेखा प्रसाद साहू को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक (Actrocity) नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ. ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ. ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ. ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या - 64 - 2014 - न्याय प्रशासन, 103 - विशेष न्यायालय, 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171 - विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.